माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर

(माननीय श्री प्रीतिंकर दिवाकर, न्यायाधीश)

रिट याचिका क्रमांक 980/2002

अरविंद कुमार पाण्डेय .....याचिकाकर्ता

विरुद्ध

छत्तीसगढ़ शासन व अन्य .....उत्तरवादीगण

याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता श्री आर.के. जैन।

उत्तरवादीगणों की ओर से शासकीय अधिवक्ता श्री प्रवीण दास।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

भारत के संविधान के अनुच्छेद 226/227 के अंतर्गत रिट याचिका

आदेश

(14.12.2011)

1. इस रिट याचिका में चुनौती दिनांक 23.6.2000 (अनुलग्नक पी-3) के आदेश को है, जिसे उप पुलिस महानिरीक्षक, विशेष सशस्त्र बल, भिलाई ने पारित किया था; दिनांक 28.11.2000 (अनुलग्नक पी-4) का आदेश अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, विशेष सशस्त्र बल, पुलिस मुख्यालय, भोपाल ने पारित किया था; और दिनांक 20.8.2001 (अनुलग्नक पी-5) का आदेश, पुलिस महानिदेशक, पुलिस मुख्यालय, रायपुर ने पारित किया था। उप पुलिस महानिरीक्षक, विशेष सशस्त्र बल, भिलाई के पारित किए गए आदेश दिनांक 23.6.2000 (अनुलग्नक पी-3) से, आरक्षक के तौर पर काम कर रहे याचिकाकर्ता को सेवा से निष्कासित कर दिया गया, जबकि दिनांक

28.11.2000 (अनुलग्नक पी-4) के आदेश से उसकी अपील अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, विशेष सशस्त्र बल, पुलिस मुख्यालय, भोपाल ने निरस्त कर दी, और दिनांक 20.8.2001 (अनुलग्नक पी-5) के आदेश से याचिकाकर्ता की दया अपील भी पुलिस महानिदेशक, पुलिस मुख्यालय, रायपुर ने निरस्त कर दी।

2. प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं: उस समय, याचिकाकर्ता एक आरक्षक के तौर पर काम कर रहा था और 33वीं बटालियन, विशेष सशस्त्र बल, भिलाई में पदस्थ था। दिनांक 30.12.1997 को, याचिकाकर्ता के विरुद्ध एक आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया जिसमें ये दो आरोप थे:

   i. दिनांक 21.11.1997 को, याचिकाकर्ता ने आरक्षक देव कुमार की सीने पर भरी हुई 303 राइफल रखी थी, और उसे जान से मारने की धमकी दी थी; और

   ii. उसने मध्य प्रदेश विशेष सशस्त्र बल अधिनियम और मध्य प्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 का उल्लंघन करके अनुशासनहीनता दिखाई।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

3. याचिकाकर्ता ने ऊपर बताए गए आरोप पत्र पर अपना जवाब दिनांक 8.1.1998 को दिया, जिसमें उसने अपने ऊपर लगे दोनों आरोपों को गलत बताया। 33वीं बटालियन, विशेष सशस्त्र बल, भिलाई के सहायक कमांडेंट जी.आर. ठाकुर को जांच अधिकारी बनाया गया, जिसे याचिकाकर्ता ने स्वीकार कर लिया। इसके बाद, याचिकाकर्ता के विरुद्ध सामान्य विभागीय जांच की गई, जिसमें विभाग ने अपने प्रकरण के समर्थन में शिकायत करने वाले देव कुमार समेत नौ गवाहों का परीक्षण किया, जबकि याचिकाकर्ता ने किसी गवाह का परीक्षण नहीं किया, बल्कि विभाग के गवाहों के बयानों का खंडन किया। जांच अधिकारी ने दिनांक 30.5.1998 को अपनी रिपोर्ट दी, और याचिकाकर्ता पर लगे आरोप साबित पाए गए। दिनांक

16.8.1998 के आदेश (अनुलग्नक पी-6) के तहत, अनुशासनात्मक प्राधिकारी ने याचिकाकर्ता को दो साल के लिए गैर-संचयी प्रभाव के साथ दो वेतन वृद्धि रोककर दंडित किया। दिनांक 1.2.1999 को, सेवा से बर्खास्त करने कमांडेंट के आदेश को उत्तराधिकारी कमांडेंट ने बदल दिया और याचिकाकर्ता को अनुलग्नक पी-1 के हिसाब से सेवा से बर्खास्त करने का बड़ा दंड दिया गया। याचिकाकर्ता ने बर्खास्तगी के आदेश को उप पुलिस महानिरीक्षक, विशेष सशस्त्र बल, भिलाई के सामने अपील के ज़रिए चुनौती दी, इस आधार पर कि कमांडेंट अपने आदेश को पुनर्विलोकन नहीं कर सकते थे, और इसलिए याचिकाकर्ता को सेवा से बर्खास्त करने का आदेश गलत माना जाए। उप पुलिस महानिरीक्षक, विशेष सशस्त्र बल, भिलाई ने उत्तराधिकारी कमांडेंट के दिनांक 1.2.1999 के आदेश को निरस्त कर दिया और याचिकाकर्ता को तुरंत बहाल करने का निर्देश दिया। उसी आदेश से, उप पुलिस महानिरीक्षक, विशेष सशस्त्र बल, भिलाई ने दिनांक 16.8.1998 के आदेश को भी निरस्त कर दिया, जिसके तहत याचिकाकर्ता को दो साल के लिए दो वेतन वृद्धि गैर-संचयी प्रभाव के साथ रोकने का दंड दिया गया था, इस आधार पर कि यह याचिकाकर्ता के कृत्य के हिसाब से सही नहीं था। उप पुलिस महानिरीक्षक , विशेष सशस्त्र बल ने याचिकाकर्ता को नोटिस जारी करने का भी निर्देश दिया, जिसमें उससे सात दिनों के अंदर जवाब देने को कहा गया, यह स्पष्ट करते हुए कि अगर तय समय में जवाब नहीं दिया जाता है, तो यह माना जाएगा कि याचिकाकर्ता के पारित कहने के लिए कुछ नहीं है और प्रकरण पर अंतिम रूप से निर्णय लिया जाएगा।

याचिकाकर्ता ने दिनांक 25.3.2000 को अपना जवाब दिया, और जवाब मिलने के बाद, दिनांक 23.6.2000 के आदेश (अनुलग्नक पी-3) के ज़रिए, उप पुलिस महानिरीक्षक ने याचिकाकर्ता को यह कहते हुए सेवा से बर्खास्त कर दिया कि

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

याचिकाकर्ता का जवाब संतोषजनक नहीं था। उप पुलिस महानिरीक्षक के इस आदेश को याचिकाकर्ता ने अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, विशेष सशस्त्र बल, भोपाल के सामने अपील में चुनौती दी और उसमें शामिल तथ्यों पर विचार करने के बाद, दिनांक 28.11.2000 के आदेश के ज़रिए अपील खारिज कर दी गई, और उप पुलिस महानिरीक्षक , विशेष सशस्त्र बल, भिलाई द्वारा याचिकाकर्ता को सेवा से बर्खास्त करने का आदेश यथावत रखा गया। इसके बाद, एक दया अपील में, पुलिस महानिदेशक ने दिनांक 20.8.2001 के आदेश (अनुलग्नक पी-5) के माध्यम से अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक और पुलिस उप महानिरीक्षक, विशेष सशस्त्र बल, भिलाई द्वारा पारित आदेशों को भी यथावत रखा।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

4. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता का कहना है कि याचिकाकर्ता को आरोप पत्र और जांच रिपोर्ट की प्रति भी नहीं दी गई, और जांच के दौरान भी, उसे अपना पक्ष रखने का पूरा मौका नहीं दिया गया, जैसा कि विधि के अनुसार आवश्यक है। उनका कहना है कि दिनांक 20.1.2000 (अनुलग्नक पी -2) को याचिकाकर्ता की अपील मंज़ूर करते समय, अपील प्राधिकारी, यानी उप पुलिस महानिरीक्षक, विशेष सशस्त्र बल, भिलाई ने दो शक्तियों का प्रयोग किया, यानी याचिकाकर्ता की अपील स्वीकृत करना और फिर पुनरीक्षण करना और याचिकाकर्ता को कारण बताओ नोटिस जारी करना कि उसे सेवा से क्यों न निष्कासित कर दिया जाए। उनका आगे कहना है कि उप पुलिस महानिरीक्षक, विशेष सशस्त्र बल , भिलाई को स्वयं को दिनांक 1.2.1999 (अनुलग्नक पी 1) के आदेश तक ही सीमित रखना चाहिए था और 16.8.1998 (अनुलग्नक पी -6) के आदेश को निरस्त नहीं करना चाहिए था। उन्होंने कहा कि याचिकाकर्ता की अपील पर विनिश्चयन करते समय, अपीलीय प्राधिकारी ने कोई युक्तियुक्त आदेश पारित नहीं किया है, और बस यंत्रवत रीति से याचिकाकर्ता की

अपील पर विनिश्चयन कर दिया है। आखिर में, उन्होंने कहा कि याचिकाकर्ता पर लगाया गया दंड, किए गए कदाचार के तुलना में अधिक है और इसलिए न्याय के हित में इसे कम किया जा सकता है।

5. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता के तर्क का जवाब देते हुए, उत्तरवादीगण के अधिवक्ता ने कहा कि आरोप पत्र की एक प्रति दिनांक 30.12.1997 को याचिकाकर्ता को सही तरीके से दी गई थी, और इसकी पावती मूल अभिलेख में है। उन्होंने कहा कि याचिकाकर्ता जांच से पूरी तरह संतुष्ट था क्योंकि उसे गवाहों के परीक्षण और प्रति परीक्षण का पूरा मौका दिया गया था। उत्तरवादीगण के अधिवक्ता के मुताबिक, याचिकाकर्ता ने भी अपने पत्र से जांच के बारे में अपनी संतुष्टि जताई थी, जो अभिलेख में भी है। उन्होंने कहा कि चूंकि याचिकाकर्ता गंभीर कदाचार में शामिल था, इसलिए अपीलीय प्राधिकारी का याचिकाकर्ता पर लगाए गए दंड को बढ़ाना पूरी तरह सही था। उन्होंने कहा कि विभाग की तरफ से निष्पक्षता इस बात से देखी जा सकती है कि शुरू में याचिकाकर्ता को कमांडेंट ने गैर-संचयी प्रभाव के साथ दो साल के लिए दो वेतन वृद्धि रोकने हेतु साधारण दंड दिया था और जब उत्तराधिकारी कमांडेंट ने सेवा से बर्खास्त करने कमांडेंट के पूर्व के आदेश को पुनर्विलोकन करते हुए आदेश पारित किया और सेवा से बर्खास्त करने की बड़ी सज़ा दी, तो अपीलीय प्राधिकारी ने कमांडेंट के उस आदेश को निरस्त कर दिया और फिर याचिकाकर्ता को सही मौका देने के बाद उसे सेवा से निष्कासित करने का नया आदेश पारित किया गया। उन्होंने कहा कि वरिष्ठ प्राधिकारी, यानी उप पुलिस महानिरीक्षक के पारित मध्य प्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1966 के नियम 29 के तहत, अपने से अधीनस्थ प्राधिकारी के द्वारा पारित किए गए किसी भी आदेश को स्वतः प्रेरणा से या इस उद्देश्य हेतु किए गए आवेदन पर पुनर्विलोकन करने की

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

पूरी शक्ति थी। उन्होंने प्रस्तुत किया कि अपीलीय प्राधिकारी, यानी अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक ने याचिकाकर्ता की अपील का विनिश्चयन करते समय भी एक तर्कसंगत आदेश पारित किया है, और एक विस्तृत और व्यापक आदेश देने की आवश्यकता नहीं थी क्योंकि इसने अनुशासनात्मक प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश की पुष्टि की है। अपने तर्क के समर्थन में, उत्तरवादियों के अधिवक्ता ने **ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और अन्य बनाम आर.के. उप्पल** के प्रकरण में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर विश्वास करते हुए, **(2011) 8 एससीसी 695** में प्रतिवेदित यह तर्क दिया कि याचिकाकर्ता का कृत्य ऐसा था कि उसके प्रति कोई नरमी नहीं दिखाई जा सकती थी, क्योंकि एक पुलिस आरक्षक होने के नाते, उससे अनुशासन को ठीक से बनाए रखने की उम्मीद की जाती थी, लेकिन इस प्रकरण में, उसने शिकायतकर्ता की सीने पर भरी हुई 303 राइफल रखकर बहुत ही अनुत्तरदायी कृत्य किया है। उन्होंने कहा कि अगर यह मान भी लिया जाए कि जांच रिपोर्ट की प्रति याचिकाकर्ता को नहीं दी गई है, तो भी वह यह तर्क देने में पूरी तरह असमर्थ रहे हैं कि रिपोर्ट न देने से उन्हें क्या नुकसान होगा।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

6. पक्षकारों के अधिवक्ताओं की बात सुनी और अभिलेख में उपस्थित विषय-वस्तुओं का अवलोकन किया, जिसमें शासन के अधिवक्ता के द्वारा प्रस्तुत मूल अभिलेख भी शामिल था।

7. आगे बढ़ने से पूर्व, मध्य प्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1966 के नियम 29 का उद्धरण आवश्यक लगता है, जो इस प्रकार है:

29. (1) *नियम 11 को छोड़कर इन नियमों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी—

(एक) राज्यपाल, या

(दो) विभाग का अध्यक्ष जो सीधा राज्य शासन के अधीन हो ऐसे विभागाध्यक्ष के नियंत्रणाधीन किसी विभाग या कार्यालय (जो सचिवालय ना हो) में सेवा करने वाले शासकीय सेवक के मामले में, या

(तीन) अपीलीय प्राधिकारी, उसे आदेश के जिसका की पुनर्विलोकन किया जाना प्रस्तावित है दिनांक से छः मास के भीतर, या

(चार) कोई अन्य प्राधिकारी जो राज्यपाल द्वारा, सामान्य या विशेष आदेश द्वारा इस संबंध में उल्लेखित किया गया हो और ऐसे समय के भीतर जो कि ऐसे सामान्य या विशेष आदेश में विहित किया जाए;

किसी भी समय, या तो स्व-प्रेरणा से या अन्यथा, किसी भी जांच के अभिलेख मंगा सकेगा/सकेंगे और इन नियमों के अधीन या नियम 34 द्वारा निरस्त किए गए नियमों के अधीन दिए गए कैसे किसी भी आदेश का, जिसके कि विरुद्ध अपील अनुज्ञात है किंतु कोई अपील नहीं की गई हो या जिसके विरुद्ध कोई अपील अनुज्ञात नहीं हो, पुनर्विलोकन आयोग से परामर्श करने के पश्चात, जहां कि ऐसा परामर्श किया जाना आवश्यक हो, कर सकेगा, और —

(क) आदेश की पुष्टि कर सकेगा/सकेंगे, उसे रूपभेदित कर सकेगा/सकेंगे, या उसे अपास्त कर सकेगा/सकेंगे; या

(ख) उसे आदेश द्वारा अधिरोपित की गई शास्ति की तुष्टि कर सकेगा/सकेंगे, उसमें कमी कर सकेगा/सकेंगे, या उसमें वृद्धि कर सकेगा/सकेंगे या उसे अपास्त कर सकेगा/सकेंगे या जहां कोई भी शास्ति अधिरोपित नहीं की गई हो, वहां कोई भी शास्ति अधिरोपित कर सकेगा/सकेंगे; या

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(ग) मामले को, उसे प्राधिकारी की ओर जिसने कि वह आदेश दिया हो या किसी अन्य प्राधिकारी की ओर ऐसे प्राधिकारी को ऐसी और जांच, जैसे कि वह मामले की परिस्थितियों में आवश्यक समझे, करने के निदेश देते हुए भेज सकेगा;

(घ) ऐसे अन्य आदेश पारित कर सकेगा जिसे की वह उचित समझे.

परंतु किसी शास्ति अधिरोपित करने वाला या बढ़ाने वाला कोई भी आदेश पुनर्विलोकन करने वाले किसी भी प्राधिकारी द्वारा तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक की संबंधित शासकीय सेवक को प्रस्तावित की गई शास्ति के विरुद्ध अभ्यावेदन करने का युक्त अवसर न दे दिया गया हो और जहां नियम 10 के खंड(पाँच) से खंड(नौ) तक में उल्लेखित की गई शास्तियों में से कोई भी शास्ति अधिरोपित करना या उस आदेश द्वारा जिसका पुनर्विलोकन चाहा गया है अधिरोपित की गई शास्ति को उन्हीं खंडों में उल्लेखित की गई शास्तियों में से में किसी शास्ति तक बढ़ाना प्रस्तावित है, वहां ऐसी शास्ति नियम 14 में दी गई रीति में जांच करने के पश्चात जहां आयोग से परामर्श लिया जाना आवश्यक हो, वहां ऐसा परामर्श लेने के पश्चात ही अधिरोपित की जाएगी अन्यथा नहीं :

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

परंतु यह और भी कि पुनर्विलोकन की किसी भी शक्ति का प्रयोग विभाग के अध्यक्ष द्वारा तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि —-

(एक) वह प्राधिकारी, जिसने अपील में आदेश दिया हो, या

(दो) जहां कोई अपील प्रस्तुत नहीं की गई हो, वहां वह प्राधिकारी जिसे अपील प्रस्तुत की जाती, उसका अधीनस्थ न हो.

स्पष्टीकरण-एक:- इस उपनियम के अधीन राज्यपाल को प्रदत्त शक्तियों, जिला न्यायालय या उसके एवं अधीनस्थ न्यायालय में सेवा करने वाले तृतीया या चतुर्थ श्रेणी के शासकीय सेवक के मामले में, मुख्य न्यायाधीश द्वारा प्रयोग में लाई जाएंगी.

स्पष्टीकरण-दो:- इस नियम के अधीन राज्यपाल को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग न्यायिक अधिकारियों के मामले में, उच्च न्यायालय द्वारा किया जाएगा.

(2) पुनर्विलोकन के लिए कोई भी कार्यवाही तब तक नहीं की जाएगी जब तक कि, --

(एक)अपील के लिए अवधि काल समाप्त न हो जाए, या

(दो) जहां ऐसी अपील प्रस्तुत कर दी गई है, वहां उसका निपटारा न हो जाए.

8. इन सब बातों से यह स्पष्ट है कि उप पुलिस महानिरीक्षक ने दिनांक 23.6.2000 का आदेश पारित करते समय ऊपर बताए गए नियम 29 के अनुसार ही कृत्य किया है, और उन्हें यह आदेश पारित करने का पूरा अधिकार था। इस न्यायालय को याचिकाकर्ता के अधिवक्ता का यह तर्क बलहीन लगता है कि उप पुलिस महानिरीक्षक सिर्फ़ उत्तराधिकारी कमांडेंट के उस आदेश को अपास्त कर सकते थे जिसमें याचिकाकर्ता को सेवा से बर्खास्त करने का गंभीर दंड दिया गया था, और उन्हें सेवा से बर्खास्त करने के कमांडेंट के पूर्व आदेश में कोई बदलाव नहीं करना चाहिए था। एक समय में प्राधिकारी के पारित पूरी रिपोर्ट देखने का अधिकार है; नियम के तहत, उन्हें बड़ी सज़ा देने का भी अधिकार है। अभिलेख से यह भी स्पष्ट है कि आदेश पारित करने से पहले, उप पुलिस महानिरीक्षक ने याचिकाकर्ता को कारण बताओ नोटिस जारी किया था, और उनके जवाब पर विचार करने के बाद आदेश पारित किया गया था। इस न्यायालय को याचिकाकर्ता के अधिवक्ता का यह तर्क बलहीन लगता है कि उसे आरोप पत्र की प्रति नहीं दी गई क्योंकि मूल अभिलेख में याचिका कर्ता की पावती दिखती है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि आरोप पत्र की एक प्रति उसे उचित प्रकार से दी गई थी। जहां तक याचिकाकर्ता को जांच रिपोर्ट न देने की बात है, हालांकि अभिलेख में ऐसी कोई पावती नहीं मिली, फिर भी सच यह है कि

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

याचिकाकर्ता का यह प्रकरण नहीं है कि जांच रिपोर्ट न देने की वजह से उसे कोई नुकसान हुआ है। याचिकाकर्ता ने कहीं भी यह तर्क नहीं दिया और साबित नहीं किया कि जांच रिपोर्ट न देने की वजह से उसे क्या नुकसान हुआ है। इस तरह, यह मान भी लें कि जांच रिपोर्ट की प्रति याचिकाकर्ता को नहीं दी गई थी, तो भी उसे इससे कोई फायदा नहीं हो सकता, क्योंकि अगर जांच रिपोर्ट उसे दे दी जाती, तब भी स्थिति वही रहती। इस न्यायालय को याचिकाकर्ता का यह तर्क बलहीन लगता है कि अपीलीय प्राधिकारी ने कोई विस्तृत आदेश पारित नहीं किया है। अपील मेमो और अपीलीय प्राधिकारी द्वारा पारित किए गए आदेश से यह स्पष्ट है कि उप पुलिस महानिरीक्षक द्वारा पारित किए गए आदेश को पुष्ट करते हुए अपीलीय प्राधिकारी ने एक सही और उचित आदेश पारित किया है। अपीलीय प्राधिकारी को अपने आदेश के समर्थन में कारण अवश्य अभिलिखित करने चाहिए ताकि यह पता चले कि उसने बताई गई बातों पर ध्यान दिया है, लेकिन यह विधि की आवश्यकता नहीं है कि अपीलीय प्राधिकारी का पुष्टीकरण आदेश बहुत बड़ा और विस्तृत हो। विनिश्चयन की प्रक्रिया में उचित प्रकार से विचार किए गए छोटे कारण पर्याप्त हो सकते हैं। इसलिए, यह नहीं कहा जा सकता कि अपीलीय प्राधिकारी ने बिना सोचे-समझे आदेश पारित कर दिया है। इस न्यायालय को याचिकाकर्ता का यह तर्क भी बलहीन लगता है कि याचिकाकर्ता का कृत्य ऐसा था कि उसे दंड देते समय नरमी बरती जा सकती थी, क्योंकि सेवा से निष्कासन का दंड उसके कदाचार के अनुपात से ज़्यादा है। इस प्रकरण में, याचिकाकर्ता पुलिस विभाग का एक कर्मचारी था और इसलिए, उससे उम्मीद थी कि वह आम लोगों को सही सुरक्षा देने में दूसरों से ज़्यादा सावधान रहेगा, न कि गलत कार्यों में शामिल होगा, जैसा कि इस प्रकरण में कहा गया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

9. इस तरह प्रकरण का गहराई से विश्लेषण करने के बाद, इस न्यायालय की राय है कि इस याचिका में जिन आदेशों को चुनौती दी गई है, वे विधि सम्मत एवं उचित हैं, और उनमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। इस तरह याचिका सारहीन होने से खारिज किए जाने योग्य है और इसे खारिज किया जाता है।

सही/-

श्री प्रीतिंकर दिवाकर

(न्यायाधीश)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(अधिवक्ता अभिषेक पांडे द्वारा अनुवाद किया गया)

अस्वीकरण :- हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।